न्यायालय सत्र न्यायाधीश, एटा।
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या– 215/2026

विनोद कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य आदि

14.08.2026,

पत्रावली पेश हुई।

पुकारा गया। पुकार पर आवेदक/अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली पर बल देने के लिये आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि आवेदक उक्त मामले मे रूचि नहीं ले रहा है, अतः ऐसा दर्शित होता है कि आवेदक को उक्त प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देना है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र 5ब अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम आवेदक की अनुपस्थिति में बल न दिये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आ दे श

उक्त दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या 215/2026 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 5ब अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम आवेदक की अनुपस्थिति में बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है। तद्नुसार वर्तमान दाण्डिक अपील कालबाधित होने के कारण निरस्त की जाती है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सत्र न्यायाधीश, एटा।

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.08.14 16:12:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court